



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 8]

नई दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2017, शनिवार/माघ 30—फाल्गुन 6, 1938

No. 8]

NEW DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2017, SATURDAY/MAGHA 30—PHALGUNA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 398.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, सभी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जिसे का.आ. 576(अ), दिनांक 23 मई, 2003 के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक में उपवाक्य (ii) में शब्द और अंक, "धारा 138 के अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक, "इस अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) के प्रावधानों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा और इनके लिए यह माना जाएगा कि ये 23 मई, 2003 से प्रतिस्थापित हुए हैं।

[अधिसूचना संख्या 12/2017/फा.सं. 225/120/2016-आईटीए. II]

रोहित गर्ग, निदेशक-आईटीए. II, सीबीडीटी

स्पष्टीकरण ज्ञापन अनुबंध में संलग्न है।

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 480.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st March, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of West Bengal namely :—

“All the areas of the District Birbhum, West Bengal.”

[No. S-38013/01/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 481.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 मार्च, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“ पश्चिम मिदनापुर एवं बर्दवान जिले (पश्चिम बंगाल) के सभी क्षेत्र/संपूर्ण क्षेत्र” ।

[सं. एस-38013/01/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 481.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st March, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of West Bengal namely :—

“All the areas of the District Paschim Midnapore and Burdwan, West Bengal.”

[No. S-38013/01/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

का.आ. 482.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 मार्च, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध हिमाचल प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्रमांक	राज्यों के नाम	जिले का नाम
1.	हिमाचल प्रदेश	ऊना
2.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
3.	हिमाचल प्रदेश	मण्डी
4.	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
6.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
7.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर

[सं. एस-38013/05/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 21st February, 2017

S.O. 482.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st March, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of Himachal Pradesh namely :—

Sl.	Name of States	Name of District
1.	Himachal Pradesh	Una
2.	Himachal Pradesh	Kangra
3.	Himachal Pradesh	Mandi
4.	Himachal Pradesh	Sirmaur
5.	Himachal Pradesh	Shimla
6.	Himachal Pradesh	Solan
7.	Himachal Pradesh	Bilaspur

[No. S-38013/05/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.